**प्रेस नोट**

**थाना बडौत          दिनाँक-22.03.2023**

**थाना बडौत पुलिस व सर्विलांस की संयुक्त टीम ने थाने के मु0अ0सं0 873/22 धारा 302/34/120बी भादवि का सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी 05 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 04 जिन्दा कारतूस, 02 मोबाइल फोन तथा एक स्विफ्ट कार बरामद ।**

**संक्षिप्त विवरण-**

दिनांक 14.09.2022 को थाना बडौत पर वादी श्री अमन पुत्र हरीश निवासी ग्राम टयौढी थाना बडौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा उसके भाई अंकेश उम्र करीब 27 वर्ष को गोली मारकर गम्भीर रूप से घायल कर दिया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 873/22 धारा 307 भादवि पंजीकृत किया गया था। दिनांक 18.09.22 को वादी के भाई अंकेश की उपचार के दौरान मृत्यु हो जाने के उपरान्त उपरोक्त अभियोग में धारा 307 भादवि का विलोपन कर धारा 302 भादवि की वृद्धि की गई।

उपरोक्त अभियोग की विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण 1.नितिन उर्फ प्रियांशु पुत्र रामकिशोर, 2.बृजेश पुत्र रामचन्द्र चौहान निवासीगण ग्राम टयौढी थाना बडौत जनपद बागपत, 3.गौरव पुत्र कृष्णपाल निवासी ग्राम शाहपुर बडौली थाना बडौत जनपद बागपत, 4.नितिन पुत्र विनोद निवासी शाहपुर बडौली थाना बडौत जनपद बागपत हाल निवासी मोदीपुरूम पल्लवपुरूम फेश 01 थाना पल्लवपुरूम जनपद मेरठ, 5. विजय उर्फ भूपसिंह पुत्र राजकुमार निवासी रचौडी थाना

इंचौली जनपद मेरठ हाल निवासी कंकरखेडा गणपति विहार गली नं0 8 थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ के नाम प्रकाश में आये।

## कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस व सर्विलांश बागपत की संयुक्त टीम द्वारा थाने के मु0अ0सं0 873/22 धारा 302/34/120बी भादवि का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में आये हत्यारोपी 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 02 अवैध तंमचे .315 बोर मय 04 जिन्दा कारतूस .315 बोर, 02 मोबाइल फोन तथा एक स्विफ्ट कार नं0 DL8CAP2025 बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

## गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-नितिन उर्फ प्रियांशु पुत्र रामकिशोर निवासी ग्राम टयौढी थाना बडौत जनपद बागपत।

2-बृजेश पुत्र रामचन्द्र चौहान निवासी ग्राम टयौढी थाना बडौत जनपद बागपत।

3-गौरव पुत्र कृष्णपाल निवासी ग्राम शाहपुर बडौली थाना बडौत जनपद बागपत।

4-नितिन पुत्र विनोद निवासी शाहपुर बडौली थाना बडौत जनपद बागपत हाल निवासी फेस वन पल्लम पुरम जनपद मेरठ।

5-विजय उर्फ भूप सिंह पुत्र राजकुमार निवासी चिन्दौड़ी थाना इन्चौली जिला मेरठ हाल निवासी गली नं0- 8 गणपति विहार कस्बा व थाना कंकरखेड़ा जिला मेरठ।

## गिरफ्तार अभियुक्त नितिन उर्फ प्रियांशु का अपराधित इतिहास-

1-मु0अ0स0 482/14 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत।

2-मु0अ0सं0 441/14 धारा 147/148/149/323/307/302/427 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।

3-मु0अ0सं0 873/22 धारा 302 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।

## गिरफ्तार अभियुक्त गौरव का अपराधित इतिहास-

1-मु0अ0सं0 243/17 धारा 147/148/149/307/324/504 भादवि व 3(2)5 SC/ST ACT थाना बडौत जनपद बागपत।

2-मु0अ0सं0 873/22 धारा 302 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।

## गिरफ्तार अभियुक्त नितिन का अपराधित इतिहास-

1-मु0अ0सं0 49/2020 धारा 392 भादवि थाना राई जनपद सोनीपत हरियाणा।

2-मु0अ0सं0 873/22 धारा 302 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।

## गिरफ्तार अभियुक्त विजय उर्फ भूपसिंह का अपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 47/16 धारा 7-7 क्रि0ला0 एक्ट व 143/283/341/504 भादवि चा0 थाना इन्चौली जनपद मेरठ।

2-मु0अ0स0 196/05 धारा 7-7 क्रि0ला0 एक्ट व 143/283/341/504 भादवि चा0 थाना इन्चौली जनपद मेरठ।

3-मु0अ0सं0 244/09 धारा 3/4 गुण्डा एक्ट थाना इन्चौली जनपद मेरठ।

4- मु0अ0सं0 6148/04 धारा 379 भादवि थाना इन्चौली जनपद मेरठ।

5- मु0अ0सं0 099/19 धारा 392 भादवि थाना सरधना मेरठ जनपद मेरठ।

6- मु0अ0सं0118/19 धारा 392/411 भादवि थाना सरधना जनपद मेरठ।

7- मु0अ0सं0 873/22 धारा 302 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।

## पूछताछ विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों नें पूछताछ करने पर बताया कि बृजेश की बडी बेटी के साथ मृतक अंकेश का अफेयर था, जिसके बारे में बृजेश को जानकारी होने पर बृजेश ने अपनी बेटी की शादी दिल्ली ले जाकर गुपचुप तरीके से कर दी थी तथा यह सौचा था कि अंकेश अब उसकी बेटी का पीछा छोड़ देगा लेकिन उसने शादी के बाद भी उसे परेशान करना जारी रखा तथा उसकी छोटी बेटी के साथ भी गलत हरकत करनी शुरू कर दी थी, इसी के चलते बृजेश ने नितिन उर्फ प्रियांशु के साथ अंकेश को मारनी की योजना बनाई जिसपर नितिन ने बृजेश से कहा कि मेरे दोस्त गौरव के दो दोस्त शूटर है जो पैसे लेकर अंकेश को मार सकते है। अंकेश को मारने के लिए डेढ लाख रूपये में 02 शूटर विजय उर्फ भूपसिंह पुत्र राजकुमार निवासी चरौडी थाना इंचौली जनपद मेरठ व नितिन पुत्र विनोद निवासी बडौली जो वर्तमान में पल्लवपुरूम मोदीपुरूम थाना पल्लवपुरूम जनपद मेरठ है तैयार हो गए। दिनांक 14.09.2022 को सुबह के समय नितिन गाडी लेकर आया जिसमें बृजेश व गौरव ने दोनों शूटरों को साथ लिया तथा सुबह के वक्त गाँव के बाहर रोड़ के किनारे छोडा तथा जब अंकेश गाँव से खेत की तरफ गया तो बृजेश ने इशारा करके उसे बता दिया कि यही है दोनों शूटर विजय उर्फ भूप सिंह व नितिन ने अंकेश को गोली मार दी और वहां से सभी लोग भाग गये।

## बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 04 जिन्दा कारतूस .315 बोर।
- घटना में प्रयुक्त एक स्विफ्ट कार नं0 DL8CAP2025।
- 02 मोबाईल फोन।

## अभियुक्तों के साथ पुलिस मुठभेड़-

थाना बडौत पुलिस द्वारा उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्तों 1-नितिन पुत्र विनोद व 2-विजय उर्फ भूप सिंह को माननीय न्यायालय पेशी पर ले जाते समय गुफा वाला मंदिर के पास पुलिस की गाडी के समाने आवारा पशु आ जाने पर अभियुक्त नितिन व विजय उर्फ भूप

सिंह द्वारा मौके का फायदा उठा कर उपनि0 विकुल की सर्विस पिस्टल को छीनकर पुलिस कस्टडी से भागे तथा पुलिस पार्टी पर छीनी हुई पिस्टल से जान से मारने की नियत से फायर किया। पुलिस द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करते हुए बाद पुलिस मुठभेड दोनों अभियुक्तों नितिन व विजय उर्फ भूप सिंह को घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से उ0नि0 से छीनी गयी सर्विस पिस्टल तथा फायर किये गये 02 खोखा कारतूस व 07 जिन्दा कारतूस बरामद हुए है।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1-SHO श्री नोवेन्द्र सिंह सिरोही थाना बडौत जनपद बागपत।
2-निरीक्षक श्री देवेश कुमार सिंह सर्विलांस प्रभारी बागपत मय सर्विलांश टीम ।
3-व0उ0नि0 श्री महेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।
4-उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
5-है0का0 468 कुलदीप देशवाल थाना बडौत जनपद बागपत।
6-का0 402 विशाल पूनिया थाना बडौत जनपद बागपत।
7-का0 403 नितिन त्यागी थाना बडौत जनपद बागपत।
8-का0 135 पुष्पेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।

**प्रेस नोट**

**थाना बडौत** **दिनाँक 22.03.2023**

**थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 224/23 धारा 147/542/323/504/308 भादवि से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।**

**घटना का संक्षिप्त विवरण**

दिनांक 22.03.2023 को थाना बडौत पर वादी श्री अमन पुत्र श्री राम नरेश निवासी पट्टी चौधरान मोहल्ला ब्रज ब्राहम्मण कस्बा व थाना बडौत ने सूचना दी कि अभियुक्तगण 1.तनिष्क, 2.मनीष, 3.बोबी, 4.राज, 5.विशाल बब्बर व अन्य अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी की दुकान में घुसकर वादी के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की गई, जिससे वादी गम्भीर रूप से घायल हो गया। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 224/23 धारा 147/452/323/504/308 भादवि पंजीकृत किया गया।

**कार्यवाही-**

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 224/23 धारा 147/452/323/504/308 भादवि से सम्बन्धित प्रकाश में आये 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-**

1-विशाल तोमर उर्फ गुड्डू पुत्र सतेन्द्र सिंह निवासी ग्राम बिजरौली थाना बडौत जनपद बागपत।

2-निशान्त उर्फ मालू पुत्र सतेन्द्र सिंह निवासी ग्राम बिजरौली थाना बडौत जनपद बागपत।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1- उ0नि0 सोनवीर सिंह थाना बडौत।

3- है0का0 65 महीपाल सिंह थाना बडौत।

प्रेस नोट

थाना छपरौली दिनाँक 22.03.2023

**थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 159/22 धारा 420/406/504/506 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

**संक्षिप्त विवरण-**

दिनांक 04.06.2022 को थाना छपरौली पर वादी श्री सुशील कुमार पुत्र अशोक कुमार रूहेला निवासी छपरौली चुंगी कस्बा व थाना बडौत ने सूचना दी कि अभियुक्त 1.सत्यवीर पुत्र फेरू व 2.सोनू पुत्र सत्यवीर निवासीगण ग्राम शबगा थाना छपरौली जनपद बागपत द्वारा आवेदक को नौकरी लगवाने का झांसा देकर छल कपट से 14.50 लाख रुपये हडप लिये व नौकरी ना लगने पर आवेदक द्वारा अपने रुपये वापस मांगने पर गाली-गलौच करते हुए जान से मारने दी धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 159/2020 धारा 420/406/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया था ।

**कार्यवाही-**

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 159/22 धारा 420/406/504/506 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

सोनू पुत्र सत्यवीर निवासी ग्राम शबगा थाना छपरौली जनपद बागपत ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1-उ0नि0 श्री उदयवीर सिंह थाना छपरौली ।

2-का0 880 गीतम थाना छपरौली ।

3-पीआरडी उदयवीर ।